अपील सूचना अधिकार संख्या 14/2018 हरपाल सिंह सुधन एडवोकेट निवासी चैबर नंबर 5ए कचहरी परिसर रायसिंहनगर, जिला श्रीगंगानगर बनाम उपखण्ड अधिकारी, रायसिंनगर

09 –05–2018

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी श्री हरपाल सिंह सुधन उपस्थित नहीं। उपखण्ड मजिस्ट्रेट, रायसिंनगर से जवाब/प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है।

मैने पत्रावली का अवलोकन किया गया तो पाया कि अपीलार्थी यह अपील लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, रायसिंहनगर को सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत एक प्रार्थना पत्र दिनांक 19.02.2018 को प्रस्तुत किया था, जिस पर उपखण्ड अधिकारी, रायसिंहनगर के आदेश दिनांक 15.03.2018 की अप्रसन्नता यह अपील प्रस्तुत की है जिसमें अपीलार्थी ने उपखण्ड अधिकारी, रायसिंहनगर के आदेश दिनांक 15.03.2018 को सूचना के अधिकार 2005 के विपरीत बताकर निरस्त करने की प्रार्थना की है और साथ ही समय पर वांछित सूचनाए उपलब्ध न करवाने के लिए उन पर शास्ति आरोपित करने की प्रार्थना की है और वांछित सूचनाएं उपलब्ध करवाने की भी प्रार्थना की गई।

अपीलार्थी श्री हरपाल सिंह सुधन, अधिवक्ता ने सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 19.02.2018 के द्वारा लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, रायसिंहनगर से निम्न सूचना चाही थी:–

प्रार्थी यह जानकारी चाहता है कि प्रार्थी के दादा लक्ष्माण सिंह पुत्र सुरजन सिंह व चाचा प्रीतम सिंह पुत्र लक्ष्मण सिं, ब्राह्मण सिख निवासी 22 एनपी के विरूद्ध थाना रायसिंहनगर की एफआईआर नं 34 दिनांक 09.05.1961 के द्वारा धारा 452, 325, 148 व 149 आईपीसी का मुकद्दमा दर्ज कर उनकी बंदूक व लाईसेंस दिनांक 11.05.1961 को जब्त की गई थी। कृपया प्रार्थी को यह बताया जाए कि इस न्यायालय में यह प्रकरण किस तिथि को नियमित दाडिक प्रकरण के रूप में दर्ज हुआ एवं उसका नम्बर क्या था तथा इस प्रकरण में किस तिथि को क्या निर्णय पारित हुआ? तथा जिस निर्णय के विरूद्ध उक्त दोनों द्वारा न्यायालय सैशन न्यायाधीश, श्रीगंगानगर में अपील की गई थी तथा अपील न्यायालय में किस तिथि को क्या निर्णय पारित किया गया तथा उस अपील का नम्बर मुकद्दमा

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

बताया जाए इन दोनों द्वारा माननीय सैशन न्यायालय, श्रीगंगानगर के विरूद्ध जो अपील/निगरानी माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय , जोधपुर में पेश की थी, उसका मुकद्दमा नम्बर व निर्णय दिनांक क्या थी एवं माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में क्या निर्णय पारित किया गया? तथा प्रार्थी को यह बताया जाए कि माननीय न्यायालय मों जो बंदूक का लाईसेंस व बंदूक जमा करवाई गई थी, यह दोनों किस तिथि को किसके द्वारा जमा करवाए गए एवं मालखाना से किसी तिथि को किसके द्वारा किस आदेश से निकालकर पुनः कहां जमा करवाए गए तथा लाईसेंसे बंदूक के साथ बांधा गया था या मूल फाईल में जमा है? तथा बताया जाए कि माननी न्यायालय की यह मूल पत्रावाली उपलब्ध है? यदि नही तो किसी तिथि को कहां जका करवाई गई, क्रमांक बताते हुए स्थान जमा बताया जाए।

उपखण्ड अधिकारी, रायसिंहनगर ने अपने पत्र संख्या सूकाअ/17/580 दिनांक 09.04.2018 से अपीलार्थी को निम्नानुसार सूचना उपलब्ध करवाई गई :

उक्त सूचना के सम्बन्ध में प्रार्थी को इस न्यायालय के पत्रांक सूकाअ/17/426 दिनांक 15.03.2018 द्वारा राजस्थान सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2 च में सूचना से तात्पर्य किसी भी स्वरूप में कोई सामग्री इसमें किसी भी इलेक्ट्रॉनिक रूप में धारित अभिलेख, दस्तावेज, ज्ञापन, ई–मेल, मत, सलाह, प्रैस विज्ञप्ति , परिपत्र आदेश लॉग बुक, संविदा रिपोर्ट कागज पत्र नमूने, मॉडल आंकडो संबंधी सामग्री शामिल है लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना सृजित करना य सूचना की व्याख्या करना या आवेदक द्वारा उठाई गई समस्याओं का समाधान करना या काल्पनिक प्रश्नों के उत्तर देना अपेक्षित नहीं है। सूचना का सृजन करना अधिनियम के कार्यक्षेत्र से बाहर है। इस प्रकार खोजकर खोजे गए तथ्यों के आधार पर नई सूचना बनाकर दिया जाना सूचना का अधिकार के तहत नहीं आता। सूचनाएं एकत्रित कर उपलब्ध करवाना ऐसा कार्य है जो कार्यालय के संसाधनों को अनुपातिक रूप से विचलित करता है। अतः आरटीआई में धारा 7(9) में ऐसी सूचना उपलब्ध करवाया जाना वर्जित से प्रार्थी को अवगत करवाया जा चुका है। प्रार्थी को भिजवाये गये पत्र की चित्र प्रति संलग्न है।

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

चूंकि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचनाएं प्रश्नात्मक रूप में है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2(एफ) के अनुसार सूचना वही देय है जिस पर लोक सूचना अधिकारी की पहुंच हो अर्थात दूसरे शब्दों में सूचना वही देय है जो निश्चित अभिलेखो में उपलब्ध हो और प्रश्नात्मक रूप में नही होनी चाहिए। सूचना के रूप में प्रत्यर्थी न तो नयी सूचना बना सकते है और न ही वे स्वयं का मत दे सकते है। लोक सूचना अधिकारी से यह अपेक्षित है कि वह आवेदक को सामग्री उसी रूप में प्रदान करे जिस रूप में लोक प्राधिकरण के पास उपलब्ध है। सामग्री में से कुछ तथ्यों को खोज कर नागरिक को ऐसे खोजे गये तथ्यो को प्रदान करना लोक सूचना अधिकारी का काम नही है। इस अधिनियम के प्रावधानो के अन्तर्गत किसी लोक अधिकारी को किसी भी कार्य को किसी विशेष तरीके से करने या न करने के आदेश/निर्देश नही दिये जा सकते। सूचना का अधिकार अधिनियम में प्रदत सूचना का अर्थ विभिन्न स्वरूपों में उपलब्ध सूचना तक सीमित है तथा जिस स्वरूप में सूचना उपलब्ध है उसी रूप में उसे प्रदान किया जा सकता है। **सूचना के रूप में कोई सुझाव देना, किसी परिवेदना के निवारण के लिए प्रार्थना करना अथवा किसी नियम या सामग्री के बारे में स्पष्टीकरण या उसकी व्याख्या प्राप्त करने की कोई गुंजाईश नही है। ऐसी दशा में लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट द्वारा अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचनाओं के सम्बन्ध में दिया गया उत्तर दिनांक 15.03.2018 सही है, जिसमें किसी प्रकार के हस्ताक्षेप की आवश्यकता नही है।**

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील खारिज की जाती है। आदेश की प्रति लोक सूचना अधिकारी एवं उप जिला कलक्टर, रायसिंहनगर को पालनार्थ भेजी जावे। आदेश की प्रति अपीलार्थी को भी भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो। यह आदेश आज दिनांक 09.05.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ज्ञाना राम)
जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर